# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## दशम् सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि 07 श्रावण, 1935 (ई०) / 29 जुलाई, 2013 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-03

| | | |
|---|---|---|
| (1) गृह (आरक्षी) विभाग | .. .. | 02 |
| (2) कारा विभाग | .. .. | 01 |
| | कुल योग .. | 03 |

रोक लगाना

1. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2005 में 192, 2006 में 163, 2007 में 73, 2008 में 79, 2009 में 123, 2010 में 176, 2011 में 161, 2012 में 91 तथा अप्रैल, 2013 तक 50 नक्सली घटनाएँ राज्य में घटित हुई हैं जिसमें 500 से अधिक जानें गयी है, यदि हाँ, तो नक्सली घटनाओं पर रोक लगाने के लिये सरकार कौन–से कदम उठाने का विचार रखती है ?

---

स्थापित कराना

2. श्री जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल"—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के बेतिया एवं अन्य दस जिला मुख्यालयों के मध्य शहर के मध्य में अभी भी मंडल काराएँ अवस्थित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहरों के मध्य में मंडल काराएँ अवस्थित होने से शहरों के विकास एवं काराओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकारी योजना अनुसार काराओं को शहरों से बाहर स्थापित करने का निर्णय वर्ष 2008 में लिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहरों के विकास एवं काराओं की सुरक्षा हेतु शहरों के बीच अवस्थित मंडल काराओं को शहर से बाहर स्थापित कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

लाभ दिलाना

3. डॉ0 अच्युतानन्द—हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 14 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित "चमक खोने लगी सरेंडर पॉलिसी" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले सात वर्षों से राज्य में नक्सलियों एवं अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु नई सरेंडर पॉलिसी लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान सरेंडर पॉलिसी की जटिलता के कारण राज्य में अभीतक सात वर्षों में मात्र 242 नक्सलियों एवं अपराधियों ने ही सरेंडर किया है, जिसमें से मात्र 115 को ही पुनर्वास पैकेज का लाभ मिल सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनर्वास पैकेज का लाभ नहीं देने के लिये दोषियों पर कार्रवाई करते हुए सभी सरेंडर करने वालों को पुनर्वास लाभ दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना :
दिनांक 29 जुलाई, 2013 (ई0)।

फूला झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा

बि0स0मु0 (एल0ए0), 46–डी0टी0पी0– 450 .